# न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मुनिदेव यादव (आर0ए0एस0)

अपील संख्या :– 02/22 (225)

आरसीएमएस संख्या – 2022/7

**उनवान**

1. श्रीमती देव कौर उर्फ गुरूदेव कौर पत्नी स्व0 श्री सोहन सिंह उम्र लगभग 80 वर्ष जाति जाट सिक्ख निवासी ग्राम रूंध पचगॉव तहसील व जिला धौलपुर।

.....अपीलान्ट

**बनाम**

1. बादशाह सिंह उर्फ बाश्या सिंह पुत्र स्व0 सोहन सिंह उम्र करीब 59 वर्ष जाति जाट सिक्ख निवासी ग्राम रूंध पचगॉव तहसील व जिला धौलपुर।
2. शाखा प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर हाल बदला नाम भारतीय स्टेट बैंक शाखा धौलपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार धौलपुर।

.....रैस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर दिनांक 06.12.21 प्रकरण संख्या 56/21 उनवान बादशाह बनाम देवकौर।

उपस्थित :–

1. श्री देवेन्द्र प्रसाद शर्मा अभिभाषक अपीलाण्ट।
2. श्री किशन सिंह त्यागी अभिभाषक रैस्पो0।

## निर्णय

**दिनांक :–21.02.2024**

1. यह अपील इस न्यायालय में उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर के आदेश दिनांक 06.12.21 के विरूद्ध पेश की गई है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी/रैस्पो0 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध अप्रार्थी/अपीलाण्ट इस आशय का पेश किया कि प्रार्थना पत्र में अंकित विवादित आराजी खसरा संख्या 50 रकवा 7.1571 है0 में प्रार्थी एवं अप्रार्थी सहखातेदार हैं। सहखातेदार होने से प्रार्थी रैस्पो0 विवादित आराजी में से अच्छी अच्छी आराजी पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं। अतः विभाजन का वाद के साथ प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तत करते हुये अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई, अपीलाधीन आदेश से स्वीकार कर करते हुये अप्रार्थी अपीलाण्ट को ताफैसला मूल वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया। जिससे व्यथित होकर अप्रार्थी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। रैस्पो0 व तहत पत्रावली को तलब किया गया। तत्पश्चात् बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

भू प्रबन्ध अधिकारी
भरतपुर (राज.)

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपील में अंकित तथ्यो को दौहराते हुए बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाने तरीके से अपीलाण्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये पारित किया गया है। अपीलाधीन आदेश बोलता हुआ आदेश नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनो बिन्दुओ का कोई विवेचन अपीलाधीन आदेश में नहीं किया एवं दोनों पक्षो को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया। दूसरे दावे एवं प्रार्थना पत्र की प्रति भी पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। फिर भी दूसरे प्रकरण का हवाला देते हुये अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। साधारणतः एक सहखातेदार, दूसरे सहखातेदार को किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं करा सकते हैं। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। अपने कथनो के समर्थन में न्यायिक नजीर आरआरडी 1987 पेज 330 का उद्धरण प्रस्तुत किया।

4. रैस्पो0 के विद्वान अभिभाषक ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप है। दोनों पक्षो के द्वारा बॅटवारा के दावे प्रस्तुत कर रखे हैं एवं दोनों ही दावे व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा एक ही दिन पेशी में थे। अधीनस्थ न्यायालय ने उन्हें समेकित करते हुये प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर सुनवाई करते हुये दोनों पक्षो को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया। समान पक्षकार हैं एवं समान आराजी है एवं दोनों ही पक्ष एक दूसरे के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा पारित कराना चाहते थे। अतः दोनो प्रकरणो में एक ही आदेश पारित किया गया है। बॅटवारे का दावा विचाराधीन है। अतः दोनों पक्षो को पाबन्द किया जा सकता है। दूसरा दावा समेकित नहीं है ऐसा अपील में कही अंकित नहीं किया। अपने तर्को के समर्थन में फार्म संख्या 03 के साथ दूसरे प्रार्थना पत्र की आदेशिका की प्रति एवं आरआरटी 2021(1) पेज 333, 295, 1325, 2023(1) पेज 255, 2021(2) पेज 966 का उद्धरण प्रस्तुत करते हुये अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। हम पाते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट व रैस्पो0 ने एक दूसरे के विरूद्ध दो दावे विवादित आराजी के विभाजन बाबत् प्रस्तुत कर रखें हैं एवं उन दावो के साथ प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत करते हुये एक दूसरे को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का अनुतोष चाहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त दोनों दावो क्रमशः 56/21 बादशाह बनाम देवकौर एवं 55/21 देवकौर बनाम बादशाह को कंसोलिडेट किया जाकर दोनों पक्षो को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया है। जिसकी पुष्टि अधिवक्ता रैस्पो0 द्वारा दौराने बहस फार्म नं0 3 के साथ प्रस्तुत आदेशिका दिनांक 06.12.2021 प्रकरण संख्या 55/21 देवकौर बनाम बादशाह से होती है। उक्त दोनों प्रकरणो में अधीनस्थ न्यायालय ने एक ही दिनांक 06.12.2021 को एक समान आदेश पारित किये हैं। जब दोनों ही पक्ष एक दूसरे को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराना चाहते हैं, तो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विवादित आराजी के विभाजन होने तक दोनों पक्षो को पाबन्द किये जाने के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं बचता है। वैसे भी विवादित आराजी पर पक्षकारो का संयुक्त कब्जा है अतः मूल वाद के निस्तारण तक सम्पत्ति को संरक्षित करना न्यायसंगत है।

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर के आदेश दिनांक 06.12.2021 यथावत रखे जाते हैं। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे। बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

7. निर्णय आज दिनांक 21.02.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुनिदेव यादव)
भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर